विविध **बैंक प्रकरण संख्या 23/2020**(GCMS : 2020/23) **भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री परमजीत कटारिया बनाम 1. विनोद पासवाल पुत्र** जगदीश पासवान
पता मयूर होटल, एसएसबी रोड, नजदीक मीरा चाके, बी आर मॉडल स्कूल के सामने, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 03, चक 6 ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर

04.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी विनोद पासवान को ऋण सुविधा के रूप में 4.95/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये चार लाख पिचयानवे हजार मात्र) का ऋण दिनांक 10.07.2013 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विनोद पासवान ने अपनी संपत्ति रिहायशी मकान नं. 03, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 13 (क्षेत्रफल 78.40 वर्गयार्ड) चक 6–ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 26.08.2019 को 5,32,454/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **[illegible] अप्रार्थी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का [illegible] को उक्त बकाया राशि जमा करवाने क़ा जारी किया गया।** धारा 1[illegible] के 60 दिवस के उ[illegible]टिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पर अप्रार्थी विनोद पासवान को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.08.2019 को भिजवाया गया है साथ ही अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील व्यक्तिशः भी करवाई है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी विनोद पासवान द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी बधंक रखी संपत्ति रिहायशी मकान नं. 03, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 13 (क्षेत्रफल 78.40 वर्गयार्ड) चक 6—ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी विनोद पासवान** को 4.95/—लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पिचयानवे हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 10.07.2013 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी विनोद पासवान **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति** रिहायशी मकान नं. 03, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 13 (क्षेत्रफल 78.40 वर्गयार्ड) चक 6—ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.08.2019 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.08.2019 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस तामील के प्रमाणस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। साथ अप्रार्थी विनोद पासवन को धारा 13(2) के नोटिस की तामील व्यक्तिशः भी करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी विनोद पासवान द्वारा अपनी सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 03, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 13 (क्षेत्रफल 78.40 वर्गयार्ड) चक 6–ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.08.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.08.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.08.2019 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है साथ ही धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थी ऋणी स्वयं पर भी करवाई है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 13(2) के [illegible] अप्रार्थी ऋणी के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी विनोद पासवान के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी विनोद पासवान द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 03, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 13 (क्षेत्रफल 78.40 वर्गयार्ड) चक 6–ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested